पंजीकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय : 3, मार्बल आर्च, सेनापति बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016
+91 22 24306321/24378866 24313938 abvpkendra@gmail.com www.abvp.org

दि. 19 जनवरी 2024

-:प्रेस विज्ञप्ति:-

कोचिंग केन्द्रों के नियमन संबंधी दिशा-निर्देशों का हो प्रभावी क्रियान्वयन: अभाविप।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोचिंग केन्द्रों के नियमन के लिए जारी किए गए व्यापक दिशा-निर्देशों के धरातल पर क्रियान्वयन के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान करती है। वर्तमान में कोचिंग केन्द्रों से जुड़े मानसिक स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाओं के अभाव, अनियंत्रित शुल्क ढांचे आदि विभिन्न प्रश्नों ने शिक्षा क्षेत्र में नकारात्मक हलचल उत्पन्न की है, इस नकारात्मक हलचल का समाधान उचित ढंग से होना अत्यंत आवश्यक हो गया है।

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों में राजस्थान के कोटा में विद्यार्थियों के आत्महत्या की लगातार घटनाएं, दिल्ली के एक कोचिंग केन्द्र में आग लगने के कारण बिल्डिंग से कूदकर जान बचाने वाले छात्रों के दृश्य सहित अनेक ऐसी घटनाएं हुईं हैं जिससे कोचिंग केन्द्रों के गंभीर नियमन की आवश्यकता महसूस की जा रही है, विद्यार्थी परिषद आशा करती है कि कोचिंग केन्द्रों के नियमन के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के जिम्मेदार विभाग शीघ्रता व जिम्मेदारी से कदम उठाएंगे।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि, "कोचिंग संस्थानों के नियमन की दिशा में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा-निर्देश स्वागत योग्य तथा महत्वपूर्ण हैं। देश के प्रत्येक कोने में बिना नियम-कानून के चल रहे कई कोचिंग केन्द्र छात्रों-अभिभावकों तथा समाज के लिए चिंता का कारण बने हुए हैं, ऐसे में प्रभावी दिशा-निर्देश होने से कोचिंग केन्द्रों से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा साफ हो सकेगी। अभाविप, आशान्वित है कि कोचिंग केन्द्रों के नियमन से जुड़े दिशा-निर्देशों का शीघ्रता से क्रियान्वयन होगा तथा सभी हितधारकों के मत पर विचार-विमर्श कर उचित निर्णय लिए जाएंगे।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केन्द्रीय कार्यालय मंत्री श्री दिगम्बर पवार द्वारा जारी की गयी है।)